

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 25 जनवरी 2021—माघ 5, शक 1942

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2021

आदेश

क्र. एफ-4-4-2014-चौवन-2.—राज्य शासन, एतद्वारा, वक्फ अधिनियम, 1995 (संशोधित), 2013 की धारा 83(4) (सी) के प्रावधान अनुसार श्री हमन जैदी, अधिवक्ता, भोपाल को मुस्लिम विधि एवं उससे संबंधित ज्ञान रखने वाले विधि शास्त्री के रूप में मध्यप्रदेश राज्य वक्फ अधिकरण, भोपाल में आगामी आदेशपर्यंत सदस्य नियुक्त करता है.

2. श्री हसन जैदी द्वारा सदस्य के रूप में मध्यप्रदेश राज्य वक्फ अधिकरण, भोपाल में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ-11-15-2010-नियम-चार, भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2011 के अनुसार भत्ते एवं सुविधाएं देय होंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एन. पी. नामदेव, उपसचिव.